

Sch XIV- F.No. 180v

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल । नाम मीजा मय

धाना वो धाना नम्बर

V

फरद मलकी / फरद रैयती

नाम रैयत मय वलिदयत जमाबन्दी

वो संकुमत नम्बर

Page No. : 37

Vol. No. : 18

Receipt No. : 0410933449

कोडरमा सदर । झरलपो । 01 । श्रीमती मंजु कुमारी

खाता संख्या
1

खेरा संख्या
147

रकबा (एकड़ में)

0 एकड़ 2.09 डिगमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी

अराजी भावली

तफसील हिसाब लगान भावली

जीत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2022-2023)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष (2021-2022)	
माल गुजारी (नकदी)	10.00				10.00	10.00
सेस (भावली)	2.50				2.50	2.50
सूद	5.00				5.00	5.00
मुतफरकात	5.00				5.00	5.00
मीजान	2.00				2.00	2.00
	24.50				24.50	24.50

तफसील अदायकारी

अदायकारी बावत	सालाना	बकाया				मोतालबा हाल (2022-2023)	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष (2021-2022)		
माल गुजारी (नकदी)	10.00				10.00	10.00	
सेस (भावली)	2.50				2.50	2.50	
सूद	5.00				5.00	5.00	
मुतफरकात	5.00				5.00	5.00	
मीजान अदायकारी	2.00				2.00	2.00	
	24.50				24.50	24.50	

(१) मीजान कुल (लफजों में) : Forty Nine Rupees

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- 49.00

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 21-06-2022



यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

दो गज की दूरी का रखो ध्यान यही है कोरोना का समाधान।

मंजु कुमारी

JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD, JHUMRITILAIYA

HOLDING TAX RECEIPT

Receipt No. TRN57358807072022104939

Date : 07-07-2022

Department / Section : Revenue Section
Account Description : Holding Tax & Others
Application Type : New Assessment

Ward No : 7

SAF No. : SAF713435070722111806

Property Type : Vacant Land

Owner Name MANJU KUMARI W/O SHATRUDHAN SINHA

Address : I C R BISHRAMBAG ROAD WARD NO 7,
JHUMRI TELAIYA, KODERMA Pin - 825409

MOB No : 9934115345

A Sum of Rs. 2681.00 (in words) Two Thousand Six Hundred and Eigthy-One Only

towards Holding Tax & Others vide Cash

Dated 07-07-2022 Drawn on NA

Place Of The Bank.

N.B. Online Payment/Cheque/Draft/ Bankers Cheque are Subject to realisation

Account Description	Period	Amount
Holding Tax Arrear	4 / 2021-2022 To 4 / 2021-2022	21.00
Holding Tax Current	1 / 2022-2023 To 4 / 2022-2023	168.00
	Total	189.00
	Additional Tax	0.00
	Penalty Amount	2001.26
	Rebate on current Demand	9.45
	Adjust amount	0.00
	Amount Received	2681.00
	Advance Amount	500.00



Signature of Tax Collector

Note:-

- This is a Computer generated Receipt. This receipt does not require physical signature.
- Avail 5% rebate yearly Holding Tax Amount by paying the tax before 30th june of the Financial Year.
- without prejudice to land right

For Details Please Visit : suda.jharkhand.gov.in
or Call us at 18001204781

In Collaboration With
Ritika Printech Pvt. Ltd.

मनु कुमारी

JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 732936180722122829

Date : 18-07-2022

प्रभावी : प्रथम तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री MANJU KUMARI W/O SHATRUDHAN SINHA,
मोहल्ला I C R BISHRMBAG ROAD WARD NO 7 JHUMRI TELAIYA
KODERMA , 825409
9934115345

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0070001201000M0 वार्ड सं. 7 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	42.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		42.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ती कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ती कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय घृति को निदिष्ट समयवाधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD द्वारा संयहित इस सम्पत्ती कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों/दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होटिंग नं० का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

मंजू कुमारी